प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

संख्या-341/14-2-2015-800(14)/2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन,
पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 13 मार्च, 2015

विषय- मुरादाबाद में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग किमी0 09 से 31 तक भूमिगत डार्क फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.996 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 1407/ ऑनलाइन/ ओएफसी/ मुरादाबाद'/यूपी-013/2014 दिनांक- 02-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुरादाबाद में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग किमी0 09 से 31 तक भूमिगत डार्क फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.996 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2- अतएव प्रस्ताव की एक प्रति मूलरूप में प्रेषित किया जा रहा है, जिसकी इण्ट्री भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबसाइट(online monitoring of forest clearance) पर कर दिया गया है। जिसका प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/6827/2014 है। कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

संख्या-341(1)/14-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि_निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) वन संरक्षक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
(4) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(5) श्री डिप्टी जनरल मैनेजर, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 गुडगांव, हरियाणा।
(6) गार्ड वुक।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
अनुसचिव।